

तारीख  
हुकम

दिनांक ०१/१०/२२ कोर्ट कायदा १९०८

इसका अर्थ है कि  
यही दिनांक पर

०१/१०/२२

अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित  
किया दिनांक ०१/१०/२२ को पेश हो

०६/१०/२२

पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक  
३१/१०/२२ को पेश हो

३१/१०/२२

अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित  
किया दिनांक ३१/१०/२२ को पेश हो

२८/१०/२२

आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ पेश  
हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित।  
न्यायालय में बार-बार आवाज उठाने  
के बावजूद सायं ५.०० बजे तक वादी  
एवं वादी वकील में से कोई उपस्थित  
नहीं हुआ।

मूलवाद अदम बाजिरी एवं  
अदम पैन्टी में खारिज हो चुका है।  
मूलवाद का निलक्षण हो जाने से प्रा० पत्र  
२१२ RT Act का कोई औचित्य नहीं  
रहता है अतः अर्जेंट पत्र ५२ RT Act  
की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली  
में सब प्रकार के रजिस्टार ले कम  
की जायें। रजिस्टार मूलवाद है।

590